



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 1990/अग्राहायण 29, 1912
No. 549] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 1990/AGRAHAYANA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि धीर सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1990

सा. का. नि. 987 (अ):—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की
धारा 3 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से
परामर्श करने के पश्चात्; उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित करती है, अर्थात्:—

हीनसीथायजोबम
(एकेरीसमाहट)

टोस-5-(4-क्लोरोफेनिल)—एन-साइक्लो हेक्सिमल-4-नेथिल-2-प्रोपसं. थायजोसिडीन-3-
कार्बोक्सामाहट

फलूकार्बामिट	एन-(एन-3, 5-डाइक्लोरो-4 (ई)-1, 2, 3-मेटाफ्लूरो-1 प्रोपानिलेक्स; (-फेनिल)-करनामायल-2-क्लोरोबेजों कार्बोक्सीडेट
पेक्लोबुट्राजोल	(2 ग्रार एस, 3 ग्रार एस)-1-(4-क्लोरोफेनिल)-4, 4-डाइमेथिल-2 (1 एन-1, 2, 4-ट्राइजोल-1-वाई 1)-पेंटान-3-01"

[सं. 19-1/90-पी. पी. I]

कवर राजिन्दर सिंह, कवर सचिव

टिप्पणः— सा. का. नि. सं. 9 (अ) तारीख 9-1-74, 823(अ), तारीख 28-9-76, 200(अ) तारीख 29-3-78 के अधीन जारी की गई अधिवृत्तानामों द्वारा और कंट्रोलिंग ब्याप प्रत्यूक्षी में समिन्त का गई, जिन पर सा. का. नि. सं. 318 (अ), तारीख 16-7-80, 574 (अ), तारीख 6-10-79, 32(अ) तारीख 12-2-80, 501 (अ), तारीख 17-7-82, 500 (अ), तारीख 18-6-85 839 (अ), तारीख 14-11-85, 31(अ), तारीख 15-1-87, 511(अ), तारीख 22-5-87 और 858 (अ) तारीख 12-8-88 और 13(अ) तारीख 5-1-1990 द्वारा सं. 201 (अ) के रूप में उपात्तरण किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 1990

G.S.R. 987 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby includes the following substances in the Schedule to the said Act, namely :—

“Hexythiazox (Acaricide) Trans-5-(4-Chlorophenyl)-N-Cyclohexyl-4-Methyl-2-Oxothiazolidine-3-Carboxamide.

Flucarbimat N-(N-3, 5-dichloro-4(E)-1, 2, 3-Pentafluoro-1-Propenyloxy) Phenyl)-carbamoyl)-2-chlorobenzocarboxidate.

Paclobutrazol (2RS, 3RS)-1-(4-Chlorophenyl)-4, 4-dimethyl-2 (1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)-Pentan-3-01.”

[No. 19-1-90-PPI]

KANWAR RAJINDER SINGH, Dy. Secy.

NOTE : Further insecticides were included in the Schedule vide Notifications issued under GSR Nos. 9 (E) dated 9-1-1974, 823 (E) dated 28-9-1976, 200 (E) dated 29-3-1978, modified to No. 201 (E) vide GSR No. 318 (E) dated 16-7-1980, 574(E) dated 6-10-1979, 38(E) dated 12-2-80, 501(E) dated 17-7-1982, 500(E) dated 18-6-1985, 839(E) dated 14-11-1985, 31(E) dated 15-1-1987, 511(E) dated 22-5-1987, 858(E) dated 12-8-1988 and 13(E) dated 5-1-1990.